**सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की छूट के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न**

**प्रश्न1: हाल ही में बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी में क्या बदलाव हुआ है और यह कब लागू किया जाएगा?**
उत्तर: सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दर, जिनमें इनका पुनर्बीमा भी शामिल है, 18% से घटाकर शून्य कर दी गई है और यह 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गई है।

**प्रश्न2: कौन सी बीमा पॉलिसियां जीएसटी छूट के दायरे में आती हैं?**
उत्तर: सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जीएसटी छूट के दायरे में आती हैं।

**प्रश्न3: स्वास्थ्य बीमा पर अनुशंसित जीएसटी छूट के दायरे में कौन सी पॉलिसियां शामिल हैं?**
उत्तर: **सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां** (फैमिली फ्लोटर योजना सहित) छूट के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।

**प्रश्न4: क्या जीएसटी समूह बीमा पॉलिसियों पर लागू होगा?**
उत्तर: हां, छूट स्पष्ट रूप से सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए है और 18% जीएसटी दर से समूह बीमा पॉलिसियों पर लागू होगी।

**प्रश्न5: क्या नियोक्ता प्रायोजित बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी लागू होगा?**
उत्तर: नियोक्ता-प्रायोजित समूह स्वास्थ्य बीमा या समूह जीवन बीमा पॉलिसी पर 18% जीएसटी की दर लागू रहेगी।

**प्रश्न6: यदि प्रीमियम की देय तिथि 22 सितंबर, 2025 से पहले है, लेकिन 22 सितंबर, 2025 को या उसके बाद भुगतान प्राप्त होता है, तो जीएसटी नई व्यवस्था या पुरानी व्यवस्था के अनुसार लागू होगा?**
उत्तर: जीएसटी दर प्रीमियम भुगतान की तारीख से लागू होगी। यदि प्रीमियम की देय तिथि 21 सितंबर, 2025 है परंतु प्रीमियम भुगतान 22 सितंबर, 2025 को या उसके पश्चात प्राप्त होता है, तो कोई जीएसटी लागू नहीं होगा।

**प्रश्न7: यदि प्रीमियम के लिए अग्रिम भुगतान 22 सितंबर, 2025 से पहले प्राप्त हुआ हो और प्रीमियम पर देय भुगतान 22 सितंबर, 2025 को या उसके पश्चात हो, तो जीएसटी नई व्यवस्था अथवा पुरानी व्यवस्था के अनुसार लागू होगा?**
उत्तर: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 14 के अनुसार, जीएसटी दर का निर्धारण तीन होने वाली घटनाओं के आधार पर किया जाएगा, - (क) सेवा की आपूर्ति, (ख) इनवॉइस जारी करना और (ग) भुगतान प्राप्त होना। यदि

इन तीन में से दो घटनाएं 22 सितंबर, 2025 को या उसके पश्चात होती हैं, तो नई दर (छूट) लागू होगी। यदि इन तीन में से दो घटनाएँ सितंबर, 2025 से पूर्व होती हैं, तो पुरानी दरें लागू होंगी।

**प्रश्न 8. क्या यात्रा और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर जैसे अंतर्निहित कवर के साथ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जीएसटी छूट के लिए पात्र होंगी?**
उत्तर: यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर जैसी अतिरिक्त सुविधाओं वाली व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के मामले में, यदि इसे एक ही उत्पाद के रूप में बेचा जाता है, तो एक ही कीमत पर बेचे गए संपूर्ण उत्पाद को जीएसटी के दायरे से छूट दी जाएगी।

**प्रश्न 9. उन पॉलिसियों, जहां बीमा प्रीमियम किस्तों (अर्थात, एकल प्रीमियम के अलावा) में एकत्र किया जाता है का प्रबंधन कैसे किया जाएगा?**
उत्तर: जीएसटी दर किस्त प्रीमियम के भुगतान की तारीख के अनुसार लागू होगी। यदि किस्त प्रीमियम का भुगतान 22 सितंबर, 2025 से पहले किया जाता है, 18% जीएसटी दर लागू होगी और यदि किस्त प्रीमियम का भुगतान 22 सितंबर, 2025 को या उसके पश्चात किया जाता है, तो ऐसे एकत्रित प्रीमियम पर जीएसटी से छूट होगी ।

**प्रश्न 10: क्या जीएसटी समूह क्रेडिट जीवन और समूह सावधि पॉलिसियों पर लागू होगा?**
उत्तर: दिनांक 17.09.2025 की अधिसूचना संख्या 16/2025 केंद्रीय कर (दर) जो दिनांक 22.09.2025 से प्रभावी है, के अनुसार, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति जो कोई समूह नहीं है, को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाओं पर विशेष छूट दी गई है। समूह क्रेडिट जीवन और समूह सावधि पॉलिसियों पर 18% जीएसटी लागू रहेगा।

**प्रश्न 11: एनआरआई ग्राहकों को 22 सितंबर, 2025 को या उसके पश्चात जारी की गई पॉलिसियां निर्यात (शून्य दर वाली) या छूट प्राप्त मानी जाएंगी ?**
उत्तर: यदि ऐसी व्यक्तिगत पॉलिसी जीएसटी कानून के अंतर्गत सेवाओं के निर्यात के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करती है तो ऐसी पॉलिसियों को निर्यात के रूप में माना जा सकता है अन्यथा सेवाओं को छूट प्राप्त सेवाओं के रूप में माना जाएगा।

**प्रश्न 12. दिनांक 22.09.2025 से पहले प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी के व्यपगत होने और तत्पश्चात, दिनांक 22.09.2025 को या उसके बाद पॉलिसी का पुनः प्रवर्तन कर लिए जाने पर, पॉलिसी का प्रबंधन कैसे होगा?**
उत्तर: पॉलिसीधारक को दिनांक 22.09.2025 को या उसके पश्चात जारी बहाल पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी के भुगतान से छूट होगी।